

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 301/सी-10000646/वित्त/नियम/चार  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2011

प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,  
मंत्रालय, रायपुर


विषय:-छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के संबंध में स्पष्टीकरण ।  
संदर्भ:-वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 72/162/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 24 मार्च,  
2009 ।

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है । उक्त नियमों में नियम 2 के परंतुक के बिन्दु (छ) के अनुसार- “ये नियम शेट्टी कमीशन के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने वाले न्यायालयीन सेवा के व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा” ।

एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त बिन्दु क्रमांक (छ) के अन्तर्गत “न्यायालयीन सेवा के व्यक्तियों” से तात्पर्य “न्यायिक अधिकारियों” से है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**प्रतिलिपि:-**

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
3. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
5. समस्त संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
7. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

*Ravinder*

विशेष कर्तव्य अधिकारी  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग